भारत में जनसंचार माध्यमों की विकासात्मक भूमिका

डॉ0 प्रतिमा गोंड*

मनुष्य अपने आप में संचार, संचारक एवं प्रचारक है। मानव समाज का प्रमुख आधार संचार है। मनुष्य आंगिक एवं कायिक, वाचिक रूप में जो हाव भाव संकेत, अभिनय, वाणी आदि द्वारा अपने मन के भाव, संवेनाओं का आदान–प्रदान करता है उसे ही संचार कहा जाता है संचार के द्वारा ही मनुष्य एक–दूसरे के साथ सम्बन्ध प्रस्थापित करता है जिससे मानव समाज का निर्माण होता है। साथ ही साथ सामाजिक सम्बन्ध बनाने तथा उसे विकसित करने में संचार की महत्वपूर्ण भमिका होती है। संचार एक अनवरत प्रक्रिया है जो सदैव समाज से विघमान रही है। धरती पर जहाँ भी मनुष्य है वहाँ संचार है। दोनो एक सिक्के के दो पहलू बन चुके है। मानव की विकासावस्था या सभ्यता के विकास के प्रत्येक सोपान पर संचार का विकास होता रहा है। प्रारम्भिक अवस्था में विकसित होते हुए मुनष्य ने वाणी की खोज की। विभिन्न प्रकार की आवाजों को शब्द रूप दिये और संचार का स्वरूप बदलता गया। मनुष्य में प्राकृतिक रूप से यह भावना विधमान रहती है कि मुझे सब कुछ जानना है। जितनी भी जानकारी संग्रहीत करता है उतना ही सुरक्षित होता है व विकास करता है। अतः जैसे–जैसे मानव समाज सूचना प्राप्त करता गया वैसे–वैसे साधनों का विकास उन सूचनाओं का प्रषित करता रहा और यही मानव समाज का मूल आधार बना।

मैकब्राइड आयोग ने कहा कि संचार जीवन का जीवन्त व सजीव रूप है। यह सामाजिक गतिविधियों और सभ्यता की गतिविधियों की अभिव्यक्ति को गति देता है। यह लोगो को सहज रूप में प्रेरणा देता है। अपनी रंगबिरंगी प्रक्रिया, पद्वत्तियों और व्यवस्था की जानकारियाँ देता है। वह नियन्त्रण और अधिकार रखता है। सामान्य जानकारियों व विचारों का रचयिता है। सन्देशों के आदान–प्रदान द्वारा एकता की भावना को शक्ति प्रदान करता है तथा विचारों को क्रिया के रूप में रूपान्तरित करता है। मानव अस्तित्व के लिए विनम्रतापूर्वक सौपें गये दायित्यों की आवश्यकताओं और भावनाओं की रचनात्मकता या विनाश की अभिव्यक्ति है। संचार ज्ञान, संगठन, शक्ति की अभिव्यक्ति है। संचार माध्यमों के कारण मनुष्य को पूर्व की स्मृति, उसकी उदारता एवं स्थिरता का प्रतिफल मिलता है जो अच्छे जीवन के लिए सतत प्रयत्नशील रहा है। जैसे–जैसे विश्व प्रगति कर रहा है संचार का दायित्व और भी ज्यादा जटिल व गूठ होता जा रहा है।[1] समय–समयपर विभिन्न क्षेत्रों में बिखरे लोग एक दूसरे को सूचनाए प्रेषित करते है जो संचार माध्यम से ही सम्भव हो पाता है। इन माध्यमों के विकास ने मानव सभ्यता व संस्कृति के विकास में अभूतपूर्व भूमिका निभायी है। विकास की प्रक्रिया के सम्बन्ध में चर्चा करने से पहले यह जानना आवश्यक है कि संचार किसे कहते है?

संचार शब्द लैटिन भाषा के communis से उत्पन्न हुआ है जो अंग्रेजी में communication के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। जिसका अर्थ है किसी बात को आगे बढ़ाना, चलाना या फैलाना अर्थात सूचनाओं की भागीदारी के रूप में निर्माण व प्रेषण करना। संस्कृत में इस शब्द की उत्पति "**चर**" धातु से मानी जाती है जिसका अर्थ है "**पलना**" अर्थात विचार या सूचनाओं के रूप में निरन्तर होने वाली "**संचरण**" की प्रक्रिया संचार कही जाती है। संचरण या सम्प्रेषण में मानव समाज अपनी अनुभूतियों सामान्यत बोलकर, लिखकर, चित्रों बिम्बों, संगीत इत्यादि के रूप में प्रस्तुत करता है। ये चीजें मानव को अपनी ओर आकर्षित करती व समाजिक बनाती है।[2] दूसरे शब्दों में हम इसी भाव, विचार या जानकारी को दूसरों तक पहुँचाते है और यह प्रक्रिया सामूहिक पैमान पर होती है। तो इसे जनसंचार कहते है।

* असिस्टेन्ट प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग, महिला महाविद्यालय, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी

जन संचार माध्यम या जन माध्यमों को अंग्रेजी में उें उमकपं कहा जाता है उमकपं उमकपंउ का बहुवचन रूप है जिसका अर्थ है साधन जिससे सदेश को सम्प्रेषित किया जाता है। इसका दूसरा अर्थ है दो बिन्दुओं को जोड़ने वाला साधन अथवा सम्प्रेषण और श्रोता को सूचनाओं का आदान–प्रदान करने के लिए उपयोगी साधन या माध्यम। मनुष्य अपने भावों विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए कुछ माध्यमों का प्रयोग करता है जिसे संचार साधन या माध्यम कहते हैं। जिस तरह का महत्व सन्देशों का होता है उसी प्रकार से साधनों का भी होता है। साधन सूचना को तीव्र गति से कई लोगों के पास एक ही समय में भेजता है। इसके अलावा जनमानस पर माध्यमों का विशिष्ट प्रभावा होता है।

मनुष्य अपनी प्रारम्भिक विकासावस्था से ही किसी न किसी संचार साधन का प्रक्रिया का प्रयोग करता आ रहा है। इसका मूलभूत कारण यह है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहने या सामुदायिक जीवन जीने के लिए उसे कुछ नियम या व्यवस्था के अनुसार रहना पड़ता है। इसके लिए जनसंचार जरूरी होता है। प्रारम्भ में मानव ने भाषा एवं लिपि क अभाव में केवल संकेतो के माध्यम से विचारों का विनिमय किया पर भाषा व लिपि क आविष्कार ने मानव जीवन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया।

प्राचीनकाल में भारत में पढ़ने–लिखने व मुद्रण आदि के इतने साघन उपलब्ध नहीं थे, जनसंचार का सबसे बड़ा माध्यम गुरु अथवा पूर्वज के मुख से बात सुनकर उस संदेश को आने वाली पीढ़ी तक पहुँचाना होता था। इसी प्रकार की क्विदंतियों के सहारे पीढ़ी दर पीढ़ी सूचना के एकत्रीकरण और उसके संचार का कार्य वहन होता रहता था। कालान्तर में लेखन का प्रचलन होने पर भोज पत्रों आदि पर लिखकर संदेश पहुँचाये जाने लगे। यह प्रथा हमारे देश में बड़ी कारगर सिद्ध हुयी। इसी के कारण हमारे वेद–पुराण आदि हम तक पहुँच सके। बाद में तो गुप्तकाल में शिलालेखों आदि की सहायता से कुछ ऐसे धार्मिक व राजनीतिक सूचनाएं भी धातुओं व पत्थरों पर उकेरी जाती रही जिनके कारण आज भी वे बहुत सारे स्मारक हमें उपलब्ध है जो हमारे अतीत के ज्ञान में वृद्धि करते हैं।[3] इसी कारण विभिन्न धर्मावलम्बियों ने धर्म के प्रचार के लिए कई प्रकार के प्रस्तर शिलाओं का सहारा लिया और उस पर धर्म से सम्बन्धित अपने विचारों को उकेरा। इस प्रकार उन लोगों ने अपनी बातों को अधिक से अधिक लोगों तक पहुचानें में सफलता प्राप्त की। यही कारण है कि बौद्ध धर्म भारत की सीमा लांघकर विदेशों तक पहुँच गया। अगर हम पीछे मुड़कर देखें तो पातें है कि 15वीं शताब्दी में छापेखाने के आविष्कार के साथ ही वर्तमान में प्रचलित जनसंचार माध्यमों का विकास आरम्भ हुआ और ओद्यौगिक क्रांति के फलस्वरुप नये प्रकार के सामाजिक व तकनीकी परिवर्तनों के साथ ही संचार माध्यम और भी विकसित होता चला गया। इस तेज विकास यात्रा को आज के परिदृश्य में देखने पर हम आश्चर्यचकित भी हो सकते है कि किस प्रकार टेलीग्राफ से होते हुए इंटरनेट और सेटेलाइट चैनल तक पहुँच चुके हैं।

भारत में वर्तमान में प्रचलित जनसंचार माध्यमों की शुरुआत सबसे पहले प्रिंट मीडिया के रुप में 17वीं शताब्दी के अंत में हुई। इस प्रकार का सबसे पहला समाचार पत्र **"जेम्स आगस्टस हिली"** का **'द बंगाल गजट'** में शुरु हुआ जिसमें कम्पनी के अधिकारियों के व्यक्तिगत जीवन से सम्बन्धित बातों को भी उजागर किया जाता था जिसके कारण अंग्रेजी सरकार इससे नाराज हो गई और इस नाराजगी के कारण ही जेम्स आगस्टस हिली को जेल जाना पड़ा और यह समाचार पत्र बन्द हो गया। इस प्रकार की कुछ समस्याओं के बावजूद भी समाचार पत्रों के विकास यात्रा रूका नहीं। खास तौर पर आजादी के दौरान तो देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने कभी गुप्त रुप से तो कभी खुले रुप से जनता तक अपनी बात पहुँचाने और उसे जागरुक करने के लिए समाचार पत्र या यूं कहें कि प्रेस का सहारा लिया। वर्ष 1922 में लाला लाजपत राय ने राजाराम शास्त्री को लाहौर के द्वारिका दास पुस्तकालय का कार्यभार सौंपा। पुस्तकालय साहित्य में राष्ट्रभक्ति से ओत प्रोत साहित्यों की भरमार थी। उसी दौरान भगत सिंह प्रायः पुस्तकालय में जाकर पुस्तकों का अध्ययन किया करते थे। एक दिन रात के समय भगत सिंह शास्त्रीजी

के कमरे में पहुँचे। थैले में पुस्तक निकालकर बोले,"यह विनायक दामोदर सावरकर द्वारा लिखित 1857 का स्वातंत्र्य समर पुस्तक की प्रति है। यह जब्तशुदा है। आपको दिखाने के लिए चुपचाप लाया हूँ।" शास्त्री जी बोलने की आप इसे इस तरह छिपा कर लाये हैं जैसे यह कोई बम है। भगत सिंह हंसे और बोले,"पंडित जी, यह बम से कम नहीं है। इस धधकती ज्वाला को जो भी पढ़ेगा वो अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर देगा।" उसके पश्चात भगत सिंह गुप्त रुप से उस पुस्तक को छापने लगे। जब भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव जेल गये तो उन पर जब्त पुस्तक के प्रकाशन का भी मुकदमा चला।[4]

इस प्रकार आजादी के पूर्व जनसंचार माध्यमों में प्रेस का सबसे महत्वपूर्ण स्थान था। अपने आधुनिक विचारों के साथ महात्मा गाँधी सहित स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े महत्वपूर्ण नेताओं ने या तो समाचार पत्र निकाला या सम्पादित किया। गाँधी जी यंग इण्डिया (1919), हरिजन (1932) तथा द गुजराती साप्ताहिक जीवन (1920)[5] से जुड़े थे। पर आजादी के बाद प्रेस की भूमिका में भी बदलाव आया है। कभी यह सूचना देने तो कभी प्रेस ने विभिन्न सरकारी नीतियों की भी बखिया उधेड़ी। निश्चित रुप से प्रेस जनता की वह संसद है जिसका कार्यकाल कभी समाप्त नहीं होता है। यह एक वास्तविकता है कि जहाँ संचार माध्यम जनता की एक जागरुक प्रहरी होती है वहाँ सरकार और जनता के मध्य एक विश्वसनीय सम्पर्क सूत्र की भूमिका भी निभाता है। सरकार और जनता के मध्य इस सूत्र की सबसे बड़ी मिशाल सन् 1975–77 के दौरान मिली जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गाँधी ने आपातकाल लागू किया था।[6] प्रेस राजनैतिक जागरुकता पैदा करने में उल्लेखनीय योगदान देता है। यह जनसहयोग को भी बढ़ावा देती है तथा लोगो को स्थानीय, राष्ट्रीय एवं अर्न्तराष्ट्रीय समस्याओं को समझने में मदद करता है। यह शासक व शासित के मध्य एक कड़ी का कार्य करता है। इसलिए यह आधुनिक शासनतंत्र की एक महत्वपूर्ण व आंतरिक भाग तथा आवश्यक सेवा बन जाता है। संचार माध्यम समाज को नेतृत्व प्रदान करने के साथ–साथ लोगो की प्रतिक्रिया को व्यक्त करती है।[7] इसलिए आजकल समाचार पत्र अधिक से अधिक स्थानीय संस्करण निकाल रहे हैं। जिससे वहाँ की समस्याओं और मुद्दों की तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित हो। वर्तमान समय में ग्रामीण अंचलों, ग्रामीण परिवेश और संस्कृति को समाज की मुख्य धारा से जोड़नो में संचार माध्यमों का विशेष योगदान रहता है।

वर्तमान समय में भारत में लगभग 4236 दैनिक समाचार पत्र है जिसमें 300 अंग्रेजी भाषा में और 1877 हिन्दी में तथा बाकी अन्य भाषाओं में है।[8] प्रेस माध्यम के साथ–साथ रेडियों और टेलीविजन भी अपनी व्यापक पहुँच के कारण जनसामान्य को काफी हद तक प्रभावित कर रहे हैं। जनसंचार माध्यमों में इन आधुनिक माध्यमों के विकास की नींव उन्नीसवीं शताब्दी के अन्त में पड़ी जब ध्वनि को रिकार्ड करने के यंत्र का आविष्कार हुआ। इस प्रकार रिकार्डेड ध्वनि का प्रसारण रेडियों के द्वारा 1920 से शुरु हुआ। रेडियों यंत्र की शुरुआत 1927 में हुआ। 1937 में इसे **"आल इण्डिया रेडियो"** और फिर 1957 में इसे **"आकाशवाणी"** का नाम दिया गया। भारत में रेडियों का प्रमुख स्थान रहा है जिसने जनमानस को जागरूक करने में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह सस्ता होने के साथ सहज भी है। रेडियों न सिर्फ फिल्मी गानों और समाचारों की वजह से लोकप्रिय हुआ, बल्कि इसने जनमानस में अपनी पैठ बढ़ाने के लिए जमीनी समस्याओं को जगजाहिर करते हुए उनक समाधान का भी प्रयास किया। शुरुआती दौर में रेडियों ने अपनी भूमिका भी सशक्त तरीके से निभाई जिसकी भूमिका कई बार सराही गई। इसने गॉव से लेकर शहर तक को अपने सम्पर्क सूत्र से जोड़ दिया, चाहे वो ग्रामीण हो या फिर शहरी सभी के लिए इसने कार्यक्रमों को प्रसारित किया। आल इण्डिया रेडियों या आकाशवाणी की भूमिका तब स्वर्णाक्षरों में अंकित की जायेगी जब शोधार्थी हरित क्रान्ति में रेडियों की भूमिका का विश्लेषण करेंगें।

1992 में रेडियो की लोकप्रियता को पर्यावरण और जन–स्वास्थ्य से जोड़ने के लिए वर्ल्ड एसोसियेशन ऑफ रेडियो ब्रॉडकास्टर्स ने वैश्विक स्तर पर एक रेडियो आन्दोलन की शुरुआत की। इसी

का परिणाम है कि अहमदाबाद के आल इण्डिया रेडियो की एक स्वयं सेवी संस्था **"गुजरात इकालॉजिकल एजुकेशन एण्ड रिसर्च"** की ओर से पर्यावरण पर 30 मिनट की अवधि के एक सौ से कही ज्यादा एपिसोड प्रसारित हो चुके है। इसी का परिणाम है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि एअर वेब्स आर पब्लिक प्रापर्टी, जिसके परिणामस्वरुप भारत में सामुदायिक रेडियो की शुरुआत हुयी। बिहार के वैशाली जिले के मंसूरपुर गाँव में रेडियो मैकेनिक "**राघव महतो"** ने अपने प्रयास से "**एफ0एम0 रेडियो**श की शुरुआत की जिसमे वे स्वास्थ्य सम्बन्धी बातें जैसे मलेरिया, मस्तिष्क, ज्वर, कालाजार आदि से बचने के लिए उपाय बताते थे, तथा कुछ इसी प्रकार से दक्षिण भारत का अन्ना विश्वविद्यालय शिक्षा की अलख जगाने में सामुदायिक रेडियो की मदद ले रहा है। भले ही इस समय देश में लगभग 300 चैनलों की भीड़ देखी जा सकती है लेकिन सामुदायिक रेडियो की तरह अब तक शायद ही कोई चैनल पूरी ईमानदारी के साथ खुद को समुदाय के सरोकारो के प्रति समर्पित नहीं कर पाया है। वैसे भी भारत की 76 प्रतिशत आबादी आज भी गॉवों में रहती है जिसके विकास का एक सशक्त साधन रेडियो के रुप मे उभरकर सामने आया है।[9]

समाज में मीडिया के तीन उद्देश्य होते है– सूचना, जानकारी और मनोरंजन। इन तीनों उद्देश्यों की पूर्ति में सबसे महत्वपूर्ण स्थान टेलीविजन आता है जो अपने दृश्य–श्रव्य दोनो माध्यमों की विशेषताओं के कारण लोगों को अधिक प्रभावित करता है। भारत में यद्यपि टेलीविजन 1965 में आ गया था पर 80 के दशक के बाद जब रंगीन प्रसारण शुरु हुआ तब इसके विकास में तेजी आयी। इसमें भी सरकार नियंत्रित दूरदर्शन ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए सूचना, शिक्षा और मनोरंजन के उद्देश्य को पूरा करने का प्रयास किया। उस दौरान बने कई कार्यक्रम आज भी बरबस ही लोगो का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हैं। कुछ कार्यक्रमों की बानगी इस प्रकार है– रजनी धारावाहिक जिसने नारी की सीधी–सीधी छवि को तोड़कर अन्याय व गलत चीजों के विरूद्व लड़ना सिखाया, बुनियाद व हम लोग नामक धारावाहिक ने घर–परिवार से जुड़ी सभ्यता व संस्कृति को हमारे सक्षम रखा। इस प्रकार के विविधतापूर्ण कार्यक्रमों ने एक मील का पत्थर रखा जिसे और मजबूती दी। रामायण व महाभारत नामक धारावाहिकों ने जिसे देखने के लिए सड़के सूनी हो जाया करती थी। इन सभी कारणों से कई लोग दूरदर्शन को आधुनिक संचार क्रांति का जनक मानते है और यह स्पष्ट करते है कि आधुनिक संचार क्रांति में दूरदर्शन की भूमिका सर्वाधिक महत्वपर्ण है। दूरदर्शन तो किसी राष्ट्र की प्रगति का प्रामाणिक व्याख्याता है। यह राष्ट्र के स्वरूप का दर्पण है। समस्त संचार माध्यमों में दूरदर्शन ही शक्तिशाली परिवर्तनकारी तत्व है।[10] सन् 1991 से पहले तक सरकार नियंत्रित दूरदर्शन का वर्चस्व प्रसारण के क्षेत्र में हुआ करता था। इन सभी का प्रयोग सरकार ने ग्रामीण समाज तक विभिन्न योजनाओं को पहुँचाने के लिए भी किया पर उस पर ये आरोप भी लगता रहा कि वो इसका प्रयोग अपनी योजनाओं के प्रचार के लिए करती है। परन्तु उदारीकरण के दौर में जब बी.बी.सी., सी.एन.एन., सी.एन.बी. और फिर 1993 में स्टार टी.वी. ने भारत में कदम बढ़ाया तब जाकर भारत में नियंत्रित दूरदर्शन को स्वतंत्रता मिली।

इस प्रकार भारत में यद्यपि विधुतीय जनसंचार माध्यमों का विकास थोड़ी देर से हुआ पर इसने जल्द ही गति पकड ली खास तौर पर वैश्वीकरण के दौरान सेटेलाइट चैनलों के आने और फिर सरकारी मीडिया को थोडी बहुत स्वायत्तता मिलना भी एक क्रांतिकारी कदम रहा जिसके लिए दूरदर्शन और आकाशवाणी को प्रसार भारती के अर्न्तगत लाया गया। इसके विकास को हम इस प्रकार भी तौल सकते है कि आरम्भ में विलासिता की वस्तु मानी जाने वाली टेलीविजन आज एक जरूरत की वस्तु बन गयी है। इसने जनमानस के रहन सहन, संस्कृति व तौर तरीको को गहराई से प्रभावित किया है। खास तौर पर सामाजिक मुद्दों को हाइलाइट कर यह माध्यम सबसे ज्यादा लोगो का ध्यान आकर्षित करने में सफल रही। ये अलग बातें है कि उसमें कितनी बाते गम्भीर थी और कितनी सनसनीखेज। सम्पूर्ण मीडिया वस्तुतः मानवमात्र के हाथ में एक ऐसा औजार है जिसका उपयोग अच्छा बुरा, लोगो की भलाई

या लोगो की बुराई में हो सकता है। इसकी शुरूआत **"तहलका न्यूज पोर्टल"** के माध्यम से **"तरूण तेजपाल"** ने जिन्होंने प्रशासन में ऊँचे पदों पर आसीन लोगो के भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए छिपे हुये कैमरे का सहारा लिया और जनता के सामने उनका चेहरा बेनकाब किया। उसके बाद तो खैर खोजी पत्रकारिता या फिर स्टिंग आपरेशन की एक झड़ी लग पायी जिसमें कई लोगो ने अपनी भूमिका को सही ढंग से निभायी तो कई ने सिर्फ दर्शको की संख्या बढ़ाकर मुनाफा वसूली के लिए ऐसा किया। कई बार तो उस पर गलत तरीको का सहारा लेने का भी आरोप लगा।[11]

आज का भारतीय मीडिया पहले से ज्यादा उग्र, सक्रिय व एकतरफा हो चुका है। इसके आत्मविश्वास का पता इसी से चलता है कि यह खुद के लिए उत्प्रेरक का काम कर रहा है। खैर इन बातों में जाते हुए यही कहा जा सकता है कि ये भी समाज में लोगों के द्वारा संचालित एक माध्यम है जिसका समाज की बेहतरी व लोकतंत्र को मजबूत बनाने में उपयोग हो सकता है दूसरी तरफ निजी हित में भी इसका उपयोग हो सकता है, पर केवल निजी हित के लिए इसका उपयोग कर कोई बहुत दिनों तक दर्शकों को भ्रमित नहीं कर सकता। तभी तो लोकसभा अध्यक्ष श्री सोभनाथ चटर्जी ने भी इसकी भूमिका को महत्वपूर्ण मानते हुए कहा था कि सरकार और कम्पनी जगत पर निगरानी की अपनी भूमिका को प्रेस बहुत अच्छे ढ़ग से निभा रहा है, वह फैसलों पर असर डाल रहा है और रूझान तय कर रहा है। विचार और सूचनाएँ दे रहा है, गरीबों और वंचितों को आवाज बुलंद करने का मंच दे रहा है।[12] इन सभी कारणों से दूरदर्शन को भी अपना तरीका बदलना पड़ा है। भारत में इस समय न्यूज चैनल थोक के भाव में खुलते जा रहे है। **"फिक्की"** की ताजा रिर्पोट के मुताबिक भारत में इस समय लगभग 400 से ज्यादा टी0वी0 चैनल देखे जा सकते है। न्यूज चैनलों की तादात 30 से भी अधिक है साथ ही और भी चैनल आते जा रहे है।

इस तरह का एक और महत्वपूर्ण जनसंचार माध्यम है फिल्मी माध्यम। यदि फिल्मी इतिहास की बात करे तो भारत में इसका परिचय **"ल्यूमरे बधुंओं"** ने सबसे पहले मुबंई में अपनी मूक फिल्म का प्रदर्शन किया। 1912 में भारत की पहली फिल्म "**राजा हरिशचन्द्र"** आयी और फिर तकनीकी परिवर्तनों के साथ ही 14 मार्च 1931 को आलमआरा आयी। इस प्रकार भारतीय फिल्मों व गानों ने लोगेां के मन मस्तिष्क में अपना स्थान बनाया। यधपि आजादी के पूर्व ब्रिटिश सरकार का इस पर नियत्रण था फिर भी "दूर हटो ऐ दूनिया वालो हिन्दोस्तान हमारा है" जैसे गानों ने आजादी का एक नया जोश पैदा किया। धीरे–धीरे भारतीय फिल्में देश की सीमाओं को लांधकर दक्षिण पूर्व एशिया और मध्य पूर्व के देशों के साथ ही साथ यूरोप और अमेरिका में भी अपनी अलग पहचान बना ली और आज यह विदेशों में भारतीय संस्कृति को फैला रही है। यही कारण है कि भारत में प्रतिवर्ष विभिन्न भाषाओं में 1000 से अधिक फिल्मों का निर्माण होता है। यही नहीं हॉलीबुड की फिल्मेां ने भी अपनी तकनीकी क्षमता से भारतीय जनमानस को प्रभावित किया है 1993 में जुरासिक पार्क और 1994 में आयी फिल्म स्पीड इसका उदाहरण है। आज इसमें इन्टरनेट आदि माध्यम जुड़ जाने से इसके विकास में एक नया अध्याय जुड़ गया है और अब लगभग यह सम्पूर्ण विकास के साथ आगे बढ़ रहा है। हाल के वर्षो में विकासशील देश जैसे भारत हर प्रकार के नये संचार तकनीकी का प्रयोग करना शुरू कर दिये है। जैसे–कम्प्यूटर, टेली कम्यूनिकेशन, इंटरनेट आदि का प्रयोग व्यापार बढाने के लिए और सरकार की नीतियों को लागू करने में है। अगर हम इन्टरनेट की संख्या को देखे तो 7 करोड़ के करीब इंटरनेट उपयोगकर्ता है। अगर हम भारत में टेलिविजन प्रसारण केन्द्रो की संख्या को देख तो पाते है कि 1997 तक इसका विश्व में 8 वां स्थान है। इस प्रकार समाचार पत्र, रेडियो पत्रिकायें आदि जो निगरानी कर्ता की भूमिका का निर्वहन करते है। उन्हें ही यह तय करना आवश्यक है कि किस घटना की पुनः सूचना दी जाये किसका उल्लेख किया जाय किन घटनाओं को दर्ज किया जाय । यह माध्यम आम जनता का रूख तय करता है कि लोग किसी मुद्दों पर क्या सोचते है।[13]

अखबार भी आज टेलीविजन के साथ ही रेडियों और इंटरनेट से प्रतिस्पर्धा कर रहा है। इसमें भी खासतौर पर अधिकतर अंग्रेजी अखबारों ने इंटरनेट पर अपना अखबार शुरू कर दिया है ताकि वे प्रतिस्पर्धा में बने रहे। इससे यह फायदा है कि समाचार पत्र की छपाई पूरी होने के बाद तो उसमें परिवर्तन करना सम्भव नहीं होता पर इंटरनेट पर अखबार का संस्करण समय–समय पर बदल सकता है इससे पाठकों को भी नवीन समाचार व जानकारियाँ मिलती रहती है फिर हम पाते है कि आज भारत में तीन वर्ग हो गये है एक वह है जो किसी भी प्रकार के जनसंचार माध्यम यानि अखबार, रेडियो, टेलीविजन, कम्प्यूटर आदि से अभी तक जुड़ नहीं पाया है। वही दूसरी आरे एक वर्ग जो केवल रेडियों और अखबार से जुड़ा है। इसके अलावा एक तीसरा वर्ग भी है जो जनसंचार के सभी माध्यमों से जुड़ा है। इन सभी कारणों से इनका समाज पर प्रभाव भी भिन्न–भिन्न देखने को मिलता है।

भारत को अगर हम छोड़ भी दे तो भी यह कहना अतिश्योक्ति नहीं होगा कि विश्व के कई राष्ट्रों में डिजिटल मीडिया ने पारम्परिक मिडिया को पीछे छोड़ दिया है जो रेडियो और दूरदर्शन के साथ ही प्रिंट मीडिया से भी आगे निकल चुका है। समाचार पत्र और चैनलों के इंटरनेट से जुड़ जाने के कारण अब एक आम नागरिक भी देश और समाज से जुड़े मुद्दों को उस चैनल या समाचार पत्रों तक पहुँचा सकता है। इन सारे बदलावों के लिए मीडिया ने एक नया शब्द गढ़ लिया है – पर्सनलाइजिंग न्यूज या खबर का निजीकरण। इसका अर्थ यह है कि खबर के उपभोक्ता और खबर देने वाली व्यवस्था के बीच इंटरेक्टिविटी यानी पुरानी दूरियों की समाप्ति। इससे पाठको को मौका मिलता है कि वे सीधे संवाददाता से सम्पर्क कर सके, नागरिक पत्रकारिता का रास्ता यहीं खुलता है साथ ही लोगों की अभिरूचि और जरूरत के हिसाब से खबर तैयार करने का भी मौका मिलता है। इस प्रकार से एक तरह की जनता की भागीदारी भी पत्रकारिता में बढ रही है जिसमें कुछ शौकिया लेखन कर रहे है, कुछ समाज की जरूरतों को दर्शाते है तो कुछ समाज में व्याप्त कुरीतियों के खिलाफ लिखने लगे है। इस नागरिक पत्रकारिता ने ही लोगो को यह मौका दिया है कि वो अपनी बेबसाइट बनाकर उस पर अपने विचार और मुद्दे व्यक्त कर सकते है। स्वतंत्रता के बाद पहले चरण में जो देश तीसरी दुनिया कहलाता था उसकी आबादी का बँटवारा हो रहा है। तीसरी दुनिया के कुछ लोग पहली दुनिया के बन चुके है हर प्रकार से। और बाकी अब एक नयी अर्थात विश्व में एक प्रकार की चौथी दुनिया का निर्माण होने लगा है इस हालात में मीडिया क्या कर सकता है। दोनो की स्थिति को प्रतिबिम्बित करना उसका काम है। और चाहे जितना भी हम मीडिया पर डम्पिंग डाउन और पेज थ्री बनने का आरोप लगाये, अगर हम गौर से देखे तो यह स्थापित होगा कि किसी भी तरह से मीडिया सभी दुनिया की रिर्पोटिंग करता है व आम जनता के ज्ञान व सूचनाओं को बढ़ाता है। इस प्रकार हम कह सकते है कि जन संचार माध्यम भी आज सामाजिक और तकनीकी परिवर्तनो से अछुता नहीं बचा है और आज ये परिवर्तन देश की सीमाओं को पार कर आज भारत तक पहुँच चुका है। यहाँ तक कि समाचार पत्र भी इससे अछूते नहीं बचे है। पहले के समाचार पत्रों का उद्देश्य पाठको की चेतना का उन्नयन था, भले ही पत्र का रूप सुरूचिपूर्ण हो या न हो आज तो पाठकों के नेत्रों को आकर्षित दिखाने के लिए पत्रों को सजाना–सवाँरना पड़ता है। र्वतमान परिवर्तनकारी युग में मीडिया का एक स्याह पहलू तब उजागर होता है जब कभी प्रलय की भविष्यवाणी सुनकर लोग आत्महत्या करने तक को उतारू हो जाते है, वही स्कूल के शिक्षिका का सम्मान धूल–धूसरित हो जाता है। ये तब होता है जब मीडिया बिना किसी खबर के तफ्शीश किये उसे छापने लगती है। या फिर बिना किसी पुक्ता सबूत के किसी पर आरोप लगाकर उसका स्टिंग आपरेशन करती है तो कभी आरुषी मर्डर केस जैसे मामलों में अपराधियों के बारे में खुद ही फैसला ले लेती है। इन सभी कारणों से अब पत्रकारिता की सच्चाई व निष्ठा पर प्रश्न–चिन्ह लगने लगा है। अब समाज यह सोचने पर विवश हो रहा है कि क्या पत्रकारिता हमेशा यथार्थपरक रहती है। बहस इस बात पर हो सकती है कि किस तरह की पत्रकारिता यर्थाथ की सही ढ़ंग से प्रस्तुत कर रही है और किसमे उसकी तस्वीर को

विकृत किया जा रहा है। अगर पत्रकारिता का आधार ही बनावट का संसार और मनोरंजन का मायाजाल हो जायेगा तो समाज को उससे बहुत ही हानि होगी और निश्चय ही सम्पूर्ण देश अवनति की ओर मुड़ जायेगा। परन्तु दूसरी तरफ जनसंचार माध्यमों की सकारात्मकता को देखे तो जेसिका लाल मर्डर केस सहित बी0एम.डब्लू0 कांड एवं कई प्रकार के केस में मीडिया द्वारा इस तरह का दबाव बनाया जिसके कारण न्यायपालिका तक को दोषियों के प्रति सख्त होना पड़ा। तो वहीं इसने बिहार में आयी प्रलयंकारी बाढ़ का सच लोगों के सामने प्रस्तुत कर लोगो को इस ओर मदद के लिए प्रेरित किया। जज, वकील, राजनीतिज्ञ, अभियुक्त और विशाल जनसमुदाय सभी पर मीडिया का खासा असर पड़ता है। आखिरकार बाकी लोगों की तरह जज भी इंसान है और उससे भी गलती हो सकती है। दूसरों की तरह मीडिया, वाह्य दशायें व सबूत वगैरह भी उनके लिए महत्व रखते है और वो इन तथ्यों से प्रभावित भी होते है। इस प्रकार जनसंचार माध्यमों का सकारात्मक उपयोग आज समय की मांग है। देश के विविध स्वरुप और भाषायी विविधता को देखते हुए यह एक सम्पर्क सूत्र की भूमिका निभा रहा है।[14]

जनसंचार माध्यम देश के राष्ट्रीय एकीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने में और देश की सांस्कृतिक संप्रभुता को बनाये रखने में और घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों का सामना करने में सहायक हो सकते हैं। जनसंचार माध्यमों को समाज की असलियत के रुप में आंकना जरुरी है। तब कही हम जागरुकता की भी बात कर सकेंगे। इनकी सहायता से जनता को सामाजिक, राजनैतिक व आर्थिक विकास में भागीदार भी बनाया जा सकता है। वर्तमान जीवन के बहुआयामी विस्तार और विकास में सुपरिचित होने के लिए पत्रकारिता अपरिहार्य है। पत्रकारिता अतीत को उद्घाटित करने के साथ ही आज के मानव समाज के हर पहलू को परिभाषित करती है। विश्व के साहित्य, विज्ञान, इतिहास, भूगोल, मनोविज्ञान आदि को प्रस्तुत करने तथा खेलकूद, संगीत, नृत्य, फिल्म को लोकप्रिय बनाने में पत्रकारिता शीर्षस्थ है।

इस प्रकार जनसंचार माध्यम भारत में भविष्य में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहेंगे और जनसामान्य को अपनी व्यापक पहुँच और नवीन तकनीकी से आपस में जोड़ने के साथ ही मुद्दों का निर्माण भी करते रहेंगे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जनसामान्य जो की इन माध्यमों तक नहीं पहुँच पाया था वो भी अपनी एक आवाज लोगों तक इन माध्यमों से जुड़कर पहुँचा सकता है। आजकल नये मीडिया का स्वरुप भिन्न प्रकार का देखने को मिल रहा है जैसे इसमें एकपक्षीय विचार या सूचना नहीं बल्कि सूचना का आदान–प्रदान व आम जनता की भागीदारिता को महत्व दिया जा रहा है। इस प्रकार जनसंचार माध्यमों का परस्पर भागीदारी वाला स्वरुप इस लोकतांत्रिक देश में लोगो को और भी मजबूत, सशक्त व वैचारिकी से युक्त बनायेगा।मनुष्य ने अपनी कल्पक सोच तथा वैज्ञानिक अनुसंधान के जरिये इन सभी माध्यमों को आविष्कृत कर अपने जीवन को सुलभ बनाया है। जनसंचार माध्यमों के स्वरुप व विस्तार सम्बन्धी **"मार्शल मैकलूहान"** के शब्द महत्वपूर्ण है। वे कहते है, "जनसंचार तकनीकी उत्पादन तथा मनुष्य के शरीर का विस्तार है। जैसे जूता–पैर का विस्तार है। संचार माध्यम मनुष्य का विस्तार करते है। यह अनेक प्रकार से होता है जैसे – बोलकर, लिखकर, यातायात के मार्ग, वस्त्र, अर्थ, मुद्रण, फोटो, समाचार पत्र, टेलीफोन, रेडियो, टेलीविजन, फिल्म, कम्प्यूटर आदि" उनके अनुसार सामाजिक परिवर्तन के लिए संचार माध्यम उत्तरदायी है। नये–नये तकनीकी आविष्कारों के चलते माध्यमों का स्वरुप दिन–प्रतिदिन बदलता जा रहा है। माध्यमों से समाज में बदलाव और माध्यमों में सामाजिक प्रभाव के अनुसार बदलाव निरन्तर हो रहा है।

सन्दर्भ–ग्रन्थ सूची

1. मुरूमकर, दत्तात्रय : जनसंचार और मीडिया लेखन, प्रकाशन संस्थान, नई दिल्ली, 2012, पृ0सं0 11।
2. मुरूमकर, दत्तात्रय : जनसंचार और मीडिया लेखन, प्रकाशन संस्थान, नई दिल्ली, 2012, पृ0सं0 12।
3. शर्मा, राधेश्याम : जनसंचार, हरियाणा साहित्य अकादमी, दिल्ली, 2004, पृ0सं0 24।

4. गोयल, शिवकुमार : पुस्तक बम से अधिक शक्तिशाली है, साहित्य अमृत, नई दिल्ली, 2008, पृ0सं0 114।
5. गुनरातने, शेल्टन ए0 : हैण्डबुक आफ द मीडिया इन एशिया, सेज पब्लिकेशन, न्यू देलही, 2000, पु0सं0 88।
6. उपाध्याय, डॉ0 अनिल कुमार : पत्रकारिता एवं जनसंचार सिद्धांत एवं विकास, भारती प्रकाशन, वाराणसी, 2005, पृ0 सं0 07।
7. माथुर, मीना : प्रजातंत्र प्रेस तथा प्रशासन, ए0बी0डी0 पब्लिशर्स, जयपुर, 1999, पृ0सं0 53।
8. http://www.indovacations.net/english/media.html
9. वर्तिका नन्दा, बुलन्द भारत का बुलन्द रेडियो, दैनिक हिन्दुस्तान समाचार पत्र, वाराणसी, 31 दिस0 2006, पृ0सं0 12।
10. तिवारी, डॉ अर्जुन : आधुनिक पत्रकारिता, विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी, 1994, पृ0सं0 114।
11. अंकित, अनिल कुमार, डायनेमिक्स ऑफ मीडिया, जी0 बी0डी0 बुक डिस्ट्रीब्यूटर्स, न्यू देलही, 2000, पृ0सं0 114।
12. सोमनाथ चटर्जी : प्रेस खुद को लोकतंत्र का हिस्सा माने, दैनिक हिन्दुस्तान समाचार पत्र, वाराणसी, 24 मार्च 2007, पृ0सं0 12।
13. माथुर, मीना : प्रजातंत्र प्रेस तथा प्रशासन, ए0बी0डी0 पब्लिशर्स, जयपुर, 1999, पृ0सं0 48।
14. चोपड़ा, मन्निका : बदलती खबर के बदलते पाठक, दैनिक हिन्दुस्तान समाचार पत्र, वाराणसी, 24 दिस0 2006, पृ0सं012।